सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 263/प्रा0पत्र/2023 दायरा दिनांक :—19.12.2023

GCMS ID—2023/269

1. मोहम्मद निसार आ0 रमजानी जाति मुसलमान निवासी शिवराज नगर, हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :— श्री अनिल गुर्जर
वकील अप्रार्थी :— परोकार सरकार।

दिनांक :— 28/02/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 3 खसरा संख्या 239 रकबा 0.4047, खसरा संख्या 240 रकबा 0.8498 हैक्टेयर, खसरा संख्या 241 रकबा 1.9020 हैक्टेयर, खसरा संख्या 669/623 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.4802 हैक्टेयर वाके ग्राम बरवास पटवार मण्डल चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में सह—खातेदारी में दर्ज है, जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अब्दुल निसार पुत्र रमजानी अंकित हो रहा है व भूमि खाता संख्या 4 खसरा सख्या 242 रकबा 0.1295 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.1295 हैक्टेयर वाके ग्राम बरवास पटवार मण्डल चतरगंज में विस्थित है, जो प्रार्थी की सहखातेदारी में दर्ज है, जिसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम अब्दुल निसार आ0 रमजान मोहम्मद दर्ज हो रहा है, प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का नाम मोहम्मद निसार आ0 रजमानी है, जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में अंकित है, लेकिन प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम अब्दुल निसार आ0 रमजानी व अब्दुल निसार आ0 रमजान मोहम्मद दर्ज हो रहा है, उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैक पासबुक्स, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम मोहम्मद निसार आ0 रजमानी ही दर्ज है तथा भूमि खाता संख्या 6 की भूमि खसरा संख्या 236, 670/228, 750/626 कुल किता 3 कुल रकबा 1.8387 हैक्टेयर वाके ग्राम बरवास के राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी का नाम मोहम्मद निसार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

आ0 रजमानी दर्ज है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी का नाम अब्दुल निसार आ0 रमजानी व अब्दुल निसार आ0 रजमान मोहम्मद दर्ज कर दिये जाने की वजह से प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम मोहम्मद निसार आ0 रमजानी है और पहचान के सभी दस्तावेजात में भी मोहम्मद निसार आ0 रमजानी ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गए इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर अब्दुल निसार आ0 रमजानी व अब्दुल निसार आ0 रमजान मोहम्मद के स्थान पर मोहम्मद निसार आ0 रमजानी दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 10.12.2023 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भमियों में दर्ज प्रार्थी का नाम अब्दुल निसार आ0 रमजानी व अब्दुल निसार आ0 रमजान मोहम्मद के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर मोहम्मद निसार आ0 रमजानी दर्ज करवावे। भूमि ग्राम बरवास पटवार मण्डल चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 3 खसरा संख्या 239 रकबा 0.4047, खसरा संख्या 240 रकबा 0.8498 हैक्टेयर, खसरा संख्या 241 रकबा 1.9020 हैक्टेयर, खसरा संख्या 669/623 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.4802 हैक्टेयर वाके ग्राम बरवास पटवार मण्डल चतरगंज व भूमि खाता संख्या 4 खसरा सख्या 242 रकबा 0.1295 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.1295 हैक्टेयर वाके ग्राम बरवास पटवार मण्डल चतरगंज के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम अब्दुल निसार आ0 रमजानी व अब्दुल निसार आ0 रमजान मोहम्मद के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर मोहम्मद निसार आ0 रमजानी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम मोहम्मद निसार है, जो कि राजस्व रिकार्ड में अब्दुल निसार गलत दर्ज हो गया है, जिसे मुताबिक दस्तावेज के मोहम्मद निसार शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/24/1628 दिनांक :–01.07. 2024 द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम बरवास के खाता संख्या 3 व 4 में दर्ज अब्दुल निसार पुत्र रमजानी व अब्दुल निसार पुत्र रमजान मोहम्मद के स्थान पर मोहम्मद निसार पुत्र रमजानी प्रार्थी दर्ज करवाना चाहता है। मौके पर उपस्थित मौतबिरानों व सहखातेदारों में जानकारी करने पर बताया गया कि प्रार्थी का सही नाम मोहम्मद निसार है। मोहम्मद निसार व अब्दुल निसार एक ही व्यक्ति का नाम होने से अब्दुल निसार के स्थान पर मोहम्मद निसार पुत्र रमजानी उक्त शुद्धि किया जाना उचित बताया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम मोहम्मद निसार है व अब्दुल निसार व मोहम्मद निसार एक ही व्यक्ति का नाम होने से अब्दुल निसार के स्थान पर मोहम्मद निसार पुत्र रमजानी जिन्हें मुताबिक प्रार्थना के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, स्थाई लेखा संख्या कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जन–आधार कार्ड व जमाबंदी खाता संख्या 06 ग्राम बरवास पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम मोहम्मद निसार पुत्र रमजानी दर्ज है, जो कि वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 3 व 4 ग्राम बरवास में अब्दुल निसार पुत्र रमजान मोहम्मद व रमजानी अंकित हो रहा है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम बरवास पटवार मण्डल चतरगंज के खाता संख्या 3 में दर्ज अब्दुल निसार पुत्र रमजानी के स्थान पर मोहम्मद निसार पुत्र रमजानी व खाता संख्या 4 में दर्ज अब्दुल निसार पुत्र रमजान मोहम्मद के स्थान पर मोहम्मद निसार पुत्र रमजानी शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 28.02.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

28/02/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446